

¹प्ररूप सं. 12खख

(नियम 26ग देखिए)

धारा 192 के अधीन कर की कटौती के लिए कर्मचारी द्वारा दावों की विशिष्टियां दर्शाने वाला विवरण

1. कर्मचारी का नाम और पता:

2. कर्मचारी का ²[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]:

3. वित्तीय वर्ष:

दावे और उनके साक्ष्य के विवरण			
क्र.सं.	दावे की प्रकृति	रकम (रुपए में)	साक्ष्य/विशिष्टियां
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मकान किराया भत्ता (i) भू-स्वामी को संदत्त किराया (ii) भू-स्वामी का नाम (iii) भू-स्वामी का पता (iv) भू-स्वामी का ²[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] टिप्पण: ²[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] तब दिया जाएगा जब पूर्व वर्ष के दौरान संदत्त कुल किराया एक लाख रुपए से अधिक है।		
2.	छुट्टी यात्रा रियायत या सहायता		
3.	उधार पर ब्याज की कटौती (i) उधार देने वाले को संदेय/संदत्त रकम (ii) उधार देने वाले का नाम (iii) उधार देने वाले का पता (iv) उधार देने वाले का ²[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] (क) वित्तीय संस्था (यदि उपलब्ध हो) (ख) नियोजक (यदि उपलब्ध हो) (ग) अन्य		
4.	अध्याय 6क के अधीन कटौती (अ) धारा 80ग, 80गग और 80गगघ (i) धारा 80ग (क) (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) (छ)		

1. आय-कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम 2016 द्वारा **1.6.2016** से अतःस्थापित।

2. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से “स्थायी खाता संख्यांक” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

	(ii) 80गगग (iii) 80गगघ (आ) अध्याय 6क के अधीन अन्य धाराएं (अर्थात् 80ङ, 80छ, 80ननक, आदि) (i) धारा (ii) धारा (iii) धारा (iv) धारा (v) धारा		
--	--	--	--

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री.....यह प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी पूर्ण और सही है।

स्थान:.....

तारीख:.....

पदनाम:.....

(कर्मचारी के हस्ताक्षर)

पूरा नाम:.....;